

**वन विभाग, हरियाणा सरकार**  
**कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, हरियाणा, पंचकूला।**

सी-18 वन भवन सैक्टर 6 पंचकूला दरभाष/फैक्स +91 172 2560791 E-mail : cfnorth.pkl-hry@nic.in

क्रमांक 7962

दिनांक:— 14-3-17

सेवा में : —

वन मण्डल अधिकारी  
अम्बाला।

विषय : — **Diversion of 6.9795 Ha. Of forest land for setting up of National Optical Fiber Network, in Naraingarh Block in Various Strips Distt. Ambala Haryana. ( FRT 1032617-1184 )**

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक 1941 दनांक 30.01.2017.

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा भेजे गये केस का अवलोकन करने पर पाया गया है कि आप द्वारा उक्त केस में न तो ले आऊट प्लान की प्रति लगाई गई है और न ही प्रस्तावित स्थल की फोटोप्रति लगाई गई है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल की फोटोप्रति जी०पी०एस० रिडिंग सहित व ले आऊट प्लान की तीन –2 प्रतियां शीघ्र इस कार्यालय में भिजवायें ताकि आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त आपको यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि आप द्वारा भविष्य में जो भी केस वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इस कार्यालय में भेजें प्रत्येक प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल की दो-फोटोप्रति जी०पी०एस० रिडिंग सहित जरूरी भेजें।

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,  
हरियाणा पंचकूला।

9/03  
10/3

9/3  
10/3/17